संख्या–वे0आ0–2–291 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सिंचाई विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) को विशिष्ट रुप से सन्दर्भित नक्शा नवीश/ प्रारुपकार, सिंचाई विभाग के वेतन विसंगति के प्रकरण पर समिति द्वारा पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) को विशिष्ट रूप से संदर्भित नक्शा नवीश/ प्रारुपकार, सिंचाई विभाग के वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर समित द्वारा पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये :—

(1) सिंचाई विभाग के वास्तुकीय प्रारूपकार के पद पर शैक्षिक अर्हता वास्तुशिल्प सहायक पाठ्यक्रम में तीन वर्ष का डिप्लोमा रखते हुए वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(2) मुख्य वास्तुविद् प्रारूपकार के पद पर वर्तमान वेतनमान रू0 5000– 8000 सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300– 34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाए।

(3) सिंचाई विभाग के मुख्य वास्तुविद् प्रारूपकार के पद पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती लोक निर्माण विभाग के वास्तुविद् सहायक के पद पर निर्धारित अर्हता के समान अर्हता रखते हुए की जाए एवं 50 प्रतिशत प्रद वास्तुकीय प्रारूपकार से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएं।

(4) सिंचाई विभाग के सहायक वास्तुविद्/लैण्ड स्केप वास्तुविद् के पदों पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की विधि को यथावत् बनाये रखा जाये।

2– कृपया उपर्युक्तानुसार निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–291 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।